न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

नामान्तकरण अपील सं. 2/2017

अपीलाण्ट
श्री हंसाराम पुत्र उदाजी जाति पुरोहित आयु व्यस्क
निवासी आमलारी तहसील सिरोही जिला सिरोही
राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेण्टगण
1– श्री पुखराज पुत्र समरथमलजी
2– श्री रूपचंद पुत्र समरथमलजी
3– श्री मीठालाल पुत्र समरथमलजी
4– श्री चम्पालाल पुत्र समरथमलजी
5– श्री देवीचद पुत्र समरथमलजी
सभी जाति जैन निवासी आमलारी
तह.व जिला सिरोही
6– श्री रमनलाल पुत्र श्री समरथमलजी
जाति जैन निवासी आमलारी
हाल मोदीलाईन सिरोही
7– अशोककुमार पुत्र समरथमलजी
8– खीमी बाई पत्री समरथमलजी
9– पिस्ताबाई पुत्री समरथमलजी
सभी जाति जैन निवासी आमलारी
तह. व जिला सिरोही
10 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– अपीलाण्ट की ओर से विद्वान वकील श्री पदमाराम चौहान
2– रेस्पोडेण्ट संख्या 10 स्टेट की ओर से तहसीलदार ,सिरोही

नामान्तकरण अपील अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत
विवादित नामान्तकरण संख्या 1095 दि 26–6–2000 ग्रा.पं. आमलारी

निर्णय दिनांक 9–9–2019

अपीलाण्ट ने जरिये वकील यह नामान्तकरण अपील अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 9 तक विवादित नामान्तकरण संख्या 1095 दिनांक 26–6–2000 ग्राम पंचायत आमलारी को निरस्त करवाने की इस न्यायालय मे दिनांक 1–5–2017 को पेश की है जिसका सक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अपील के माध्यम से यह निवेदन किया कि अपीलार्थी के कब्जे काश्त विक्रय विलेख के द्वारा खरीद शुदा कृषि भूमि मौजा ग्राम आमलारी पटवार हल्का आमलारी तहसील सिरोही जिला सिरोही मे आई हुई है जिसका पुराना खसरा नंबर 706 रकबा 01 बीघा 08 विस्वा व वर्तमान मे खसरा नंबर 1036 रकबा 0.23 हैक्टेयर आराजी आई हुई है; अपीलार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 9 के पिताजी समरथमलजी पुत्र हिरजी जाति जैन से दिनाक 28–11–1997 को जरिये विक्रय विलेख द्वारा उप पंजीयक सिरोही मे पंजीयन करवाकर खरीद की गई थी अपीलार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण दायर करवाने हेतु आवेदन पत्र मय विक्रय विलेख की नकल प्रतिलिपि राजस्व अधिकारी (भू.अ.) पटवारी आमलारी को प्रस्तुत किया गया था और पटवारी द्वारा अपीलार्थी को कहा गया था कि नामान्तकरण दायर कर दुंगा लेकिन नामान्तकरण दायर नही किया गया । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 9 के पिताजी समरथमल पुत्र हिरजी जैन का स्वर्गवास होने के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों का नामान्तकरण दायर हुआ जो नामान्तकरण संख्या 1095 दिनाक 26–6–2000 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 9 के नाम से स्वीकृत हुआ है रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 9 के अन्त कृषि भूमि भी है जो अन्य कृषि भूमि के खसरा नंबरों के साथ पुराना खसरा नंबरान के साथ खसरा नंबर 706 शामिल था जो सभी खसरान को खाता संख्या एक ही थी । जो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 9 को उक्त खसरा नबर 706 मे गलती से नामान्तकरण दर्ज हुआ है। अपीलार्थी ग्रामीण एवं अनपढ व्यक्ति होने से यह विश्वा समे रहे की पटवारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर म्युटेशन नियमानुसार दर्ज हो गया है। अपीलार्थी के नाम से नामान्तकरण दायर नही किया गया था । इसलिये अपीलार्थी के नाम से म्युटेशन दर्ज नही होने से उक्त नामान्तकरण संख्या 1095 विधि विरूद्व होने से अपास्त किया जाने योग्य है। अपीलार्थी के नाम से खरीद शुदा कृषि भूमि का नामान्तकरण दायर विधिक एवं कानूनी रूप से किया जाना चाहिये था लेकिन नामान्तकरण दायर नही कर भारी कानूनी वाक्याती भूल की है। अपीलार्थी को पहली बार उक्त कृषि भूमि की नकल जमाबंदी की प्राप्त करने पर जानकारी हुई की अपीलार्थी के नाम की जमाबंदी मे बतौर खातेदार नाम दर्ज नही किया गया है। उक्त तथ्य की जानकारी होने पर अपीलार्थी को काफी परेशानी हुई राजस्व अधिकारियां ने उसे खरीद शुदा

लैण्ड रिकॉर्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue page No 2

कृषि भूमि के हक हिस्से से वंचित करने की नियत से जानबुझ कर म्युटेशन दर्ज नही करने मे बडी कानूनी भूल की गई है। अतः अपीलाण्ट की यह अपील स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत आमलारी द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1095 दिनांक 26–6–2000 को अपास्त कर अपीलार्थी के नाम से नामान्तकरण दायर करवाने का आदेश प्रदान करवाना फरमावें ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे नामान्तकरण संख्या 1095 दिनांक 26–6–2000 ग्राम पंचायत आमलारी,विक्रय विलेख दिनांक 29–11–1997 की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने पर अपील मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 1–5–2017 को यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट सख्या 1 से 9 तक को जवाब पेश करने हेतु सम्मनस जारी किये गये। जिस पर न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 10–10–2017 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1–पुखराज की मृत्यु 2–रूपचंद की मृत्यु 3–मीठालाल की मृत्यु 4–चम्पालाल की मृत्यु 5–देवीचंद की हैदराबाद मे रहने 7–अशोककुमार के बम्बई मे रहने 8–खीमीबाई के सुरत मे रहने 9–पिस्ताबाई के हैदराबाद मे रहने की तामिल कुनिन्दा तहसील कार्यालय सिरोही की रिर्पोट के साथ उक्त सम्मद अदम तामिल प्राप्त हुये है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 6 रमनलाल का सम्मन तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया ।

दिनांक 13–6–2018 को यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टिसे न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्दइ पर पेश हुई हुई जिस पर दौराने सुनवाई रेस्पोडेण्ट संख्या 10 स्टेट तहसीलदार ,सिरोही ने पटवारी आमलारी भू.अ.नि. आमलारी ,नायब तहसीलदार,कालन्द्री का संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया

रेस्पोडेण्ट संख्या 10 स्टेट तहसीलदार,सिरोही ने अपने उक्त जवाब के माध्यम से यह कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम आमलारी मे खसरा नंबर 706 रकबा 1.08 बीघा भूमि समरथमल पुत्र हीरजी महाजन द्वारा कृषि भूमि क्रय की थी जिसका पंजीयन कार्यालय सिरोही मे लेख्य पत्र संख्या 1106/1997 दिनांक 28–11–1997 पंजीयन हुआ है। ग्राम आमलारी के नामान्तकरण संख्या 1095 दिनांक 26–6–2000 को उत्तराधिकारी का नामान्तकरण समरथा पुत्र हीरा फौत के स्थान पर पुखराज,रूपचंद,मीठालाल,चम्पालाल,देवीचद,रमणलाल,अशोककुमार,पिसरान समरथमल खीमीबाई ,पिस्ताबाई पुत्री समरथमल महाजन दर्ज किया गया । चूंकि बेचनार की मृत्यु से नामान्तकरण दायर व स्वीकृत करने के बाद बेचान पंजीयन के आधार पर नामान्तकरण दायर नही किया जा सकता । अतः उक्त प्रकरण मे नामान्तकरण संख्या 1095 मे खसरा नंबर 706 के नवीन खसरा संख्या 1036 मे उचित कार्यवाही किया जाना उचित रहेगा ।

इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी आज दिनांक 2–9–2019 को पत्रावली देखने पर पाया कि विचाराधीन प्रकरण मे रेस्पोडेण्टसंख्या 6 रमनलाल को सम्मन तामिल होकर इस न्यायालय मे दिनांक 10–10–2017 को प्राप्त होने के बावजूद आज दिन तक न्यायालय मे सुनवाई पेशी पर हाजिर नही हुये है जिस पर न्यायालय द्वारा आज दौराने सुनवाई रेस्पोडेण्ट सख्या 6 रमनलाल को हांजिर होने हेतू न्यायालय द्वारा बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद रेस्पोडेण्ट संख्या 6 या इनके प्रतिनिधि/वकील कोई भी न्यायालय समय तक हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 6 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने के आदेश दिये गये । प्रकरण मे वकील अपीलार्थी पिछले दो साल से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 व 7 से 9 के नये वर्तमान पूर्ण के सम्मन पेश करने व सम्मन को अखबारो मे प्रकाशित करवाने हेतु समय मांग रहे है इस कारण न्यायालय ने पत्रावली के संलग्न रेस्पोडेण्ट संख्या 10 तहसीलदार सिरोही उक्त जवाब जो अपील मे अंकित तथ्यों को रेकर्ड के आधारित एडमिट किया है। ऐसी स्थिति मे वकील अपीलार्थी द्वारा भी प्रकरण की सीधी ही अंतिम बहस करने का निवेदन करने से वकील अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 10 स्टेट तहसीलदार,सिरोही की अतिम बहस सुनी गई ।

हमने वकील अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट संख्या 10 स्टेट तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस पर मनन किया ।विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर भी मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि पत्रावली के संलग्न अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख लेख्य पत्र संख्या 1106/1997 दिनांक 28–11–1997 पंजीयन शुदा है। ग्राम आमलारी के नामान्तकरण संख्या 1095 दिनांक 26–6–2000 को उत्तराधिकारी का नामान्तकरण समरथा पुत्र हीरा फौत के स्थान पर पुखराज,रूपचंद,मीठालाल,चम्पालाल,देवीचद,रमणलाल,अशोककुमार,पिसरान समरथमल खीमीबाई ,पिस्ताबाई पुत्री समरथमल महाजन दर्ज किया गया । चूंकि बेचनार की मृत्यु से नामान्तकरण दायर व स्वीकृत करने के बाद बेचान पंजीयन के आधार पर नामान्तकरण दायर नही किया जा सकता । अतः उक्त प्रकरण मे नामान्तकरण संख्या 1095 मे खसरा नंबर 706 के नवीन खसरा संख्या 1036 मे उचित कार्यवाही करने का तहसीलदार सिरोही ने कहा है। उपरोक्त सभी के आधार पर यह साबित है कि विवादित नामान्तकरण संख्या 1095 दिनांक 26–'6–2000 विधि विरूद्व है। अतः अपीलाण्ट की यह अपील अ.धा.75 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 10 तक स्वीकार योग्य

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page No 3

होने से स्वीकार की जाती है तथा विवादित नामान्तकरण संख्या 1095 दिनांक 26–6–2000 ग्राम पंचायत आमलारी को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है विचाराधीन प्रकरण तहसीलदार सिरोही को प्रतिप्रेषित कर भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त पर्याप्त अवसर देते हुये समुचित साक्ष्य सबूत व अपीलार्थी के द्वारा विक्रय विलेख संख्या 1106/1997 दिनांक 28–11–1997 की प्रमाणित प्रति के आधार अपीलार्थी के नाम नियमानुसार नया नामान्तकरण दायर करने की कार्यवाही निर्धारित समयावधि मे सम्पन्न करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 9–9–2019 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.30 19:37:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: